

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

भोपाल दिनांक 12/01/2022

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / 429 / अ०स० / १५

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय, भोपाल / इंदौर /
उज्जैन / ग्वालियर / सांगर / जबलपुर / रीवा (म.प्र.)
2. कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सांगर / जबलपुर / रीवा
होशंगाबाद, मुरैना, खरगौन मंदसौर, सिवनी (म०प्र०)

विषय :- राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त करने बाबत।

—००—

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998 के नियम 54(3) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1985 के नियम में शासकीय सेवा में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल सम्पत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत किये जाने का निर्देश है। उपरोक्त उपनियम (1) चतुर्थ श्रेणी उपनियम-१९ (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

राज्य शासन के निर्देशानुसार आंचलिक कार्यालय में एवं प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सभी सेवकों का पृथक-पृथक एवं सचिव, मण्डी निरीक्षक, लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक का पृथक से विवरण मण्डी बोर्ड की बेबसाईट www.mpmmandiboard.gov.in पर दिनांक 31.01.2022 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों तथा समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभागों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग का यह दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ एवं मण्डी समिति में कार्यरत राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है अनावश्यक समीक्षा बैठक में अवगत करावें।

—०२—

यह जानकारी प्रतिवर्ष मण्डी बोर्ड की बेबसाईट पर अद्यतन की जायेगी। बेबसाईट के लिये जानकारी उपलब्ध कराने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो इस संबंध में मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से दूरभाष नंबर 0755-4270541 यथा मोबाईल नंबर 9425605243 पर सम्पर्क कर निवारण करायें साथ ही निर्धारित समय सीमा में वांछित जानकारी अपर संचालक (कार्मिक), मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजी जाना सुनिश्चित करें।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी सेवकों को उपरोक्त निर्देश से अवगत करायें एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रपत्र ।

12.1.22
अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / 429 / अ0स0 / 95

भोपाल दिनांक 12/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक (मण्डी) / बोर्ड कार्मिक) म0प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत मण्डी सचिव, मण्डी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं लेखापाल की अचल संपत्ति जानकारी संकलित कर, मण्डी बोर्ड की बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु चीफ प्रोग्रामर को निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. श्री संदीप चौबे, चीफ प्रोग्रामर मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि सभी अधी0 / कर्म0 के संबंध में चल / अचल संबंधी जानकारी बोर्ड की बेबसाईट पर अपलोड करायी जावे।

12.1.22
अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति दिनांक के समय अचल संपत्ति का विवरण, चर्च —————

1. अधिकारी / कर्मचारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का जिस सेवा पर वह हो
2. वर्तमान धरित पद 3. वर्तमान चेतन आगामी बैठनवृद्धि की तारीख

उस जिले, नगरपालिका, परगना और ग्राम का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है		संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	वर्तमान गृह तथा अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	पदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह बताईये कि यह किसके नाम पर है और शासकीय कर्मचारी से उसका व्यापार से और ग्राम करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया, खरीदार पट्टे पर बंधक पर उत्तराधिकारी से या अन्य किसी प्रकार से और ग्राम करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
01	02	03	04	05	06	07	08	

जो लागू हो उसे काट दीजिए।
ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण सम्भव न हो तो वर्तमान रिथिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है।
इसमें अल्टर्नेटिव पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :

माझे शा. सकोय कर्मचारी आवश्यक नियम 1959 के नियम (१४)(३) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्यवा उसे विवर सत्त ने मिली या उसके अपने नाम फॉर्म या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा इनियिट रामरत अचल समाप्ति हो व्यौरे दे।

हस्ताक्षर —————
नाम —————
वात्स —————

पद स्थापना स्थल —————